

# किराया: कोविड-19 और घर पर आपके अधिकार

**यदि मैं अपना किराया नहीं दे पाऊँ तो मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?**

यदि आप अपना किराया नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 ने आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है, तो आप अपने मकान मालिक या रियल एस्टेट एजेंट से **किराया में राहत** प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आप किसी समझौते पर आते हैं, तो आपको समझौते को लिखित रूप में लेना होगा और इसे **यहां उपभोक्ता मामलों (कनज्यूमर अफैरज़)** के साथ रजिस्टर कराना होगा।

यदि आप अपने मकान मालिक के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, तो कनज्यूमर अफैरज़ आपकी मदद कर सकता है:

- एक समझौते तक पहुँचने में आपकी और आपके मकान मालिक की **मदद**
- आपको **मध्यस्थता (मीडीएशन)** के लिए भेजना; या
- आपका मामला आवासीय किरायेदारी **विवाद समाधान के मुख्य अधिकारी** के पास भेजा जा सकता है, जो किराया राहत पर एक अनिवार्य निर्णय ले सकता है।

इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी **यहाँ** उपलब्ध है।

किरायेदार विक्टोरिया के पास जानकारी और संसाधन हैं जो आपको अपने मकान मालिक के साथ संवाद करने में मदद कर सकते हैं, जो **यहाँ** उपलब्ध है।

यदि आप इस प्रक्रिया के माध्यम से किराए में कमी प्राप्त करते हैं, तो आप सरकार से किराया राहत के लिए योग्य हो सकते हैं। इन भुगतानों की जानकारी **यहाँ** उपलब्ध है।

**क्या मुझे किराए का भुगतान ना करने के कारण बेदखल किया जा सकता है?**

यदि आप कोविड-19 से आर्थिक रूप से प्रभावित हैं, तो आपको 31 दिसंबर 2020 तक किराए का भुगतान नहीं करने के लिए बेदखल नहीं किया जा सकता है।

यदि आप आप किराए के पीछे हो, तो बेदखली पर प्रतिबंध हटने पर वह आपको बेदखल करने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए किराया राहत के लिए आवेदन करना महत्वपूर्ण है ताकि आप किराए का भुगतान करने में बहुत पीछे न रहें यदि आप अपना किराया नहीं दे सकते हैं।

निष्कासन प्रतिबंध के बावजूद, आपका मकान मालिक अभी भी आपको निकालने के लिए वीकैट (VCAT) पर में आवेदन कर सकता है, लेकिन वर्तमान में 31 दिसंबर 2020 तक अस्थायी कानूनों के कारण किरायेदारों को बेदखल करना अधिक कठिन हो जाता है। इस बारे में जानकारी **यहाँ** उपलब्ध है।

यदि आपको बेदखली के संबंध में कोई कानूनी दस्तावेज प्राप्त होता है, या यदि आपको वीकैट (VCAT) पर जाना है, तो आपको **तुरंत कानूनी सलाह लेनी चाहिए।**

सैम कोविड-19 के कारण एक वेंटर के रूप में अपनी नौकरी खो दी है और अब वह प्रति माह अपना घर का किराया \$800 का भुगतान नहीं दे सकता है। वह अपने मकान मालिक को अपनी आर्थिक तंगी से अवगत कराता है, और वे अगले 6 महीनों के लिए उसके किराए में प्रति माह 100 डॉलर कम करने के लिए सहमत होते हैं।

सैम उपभोक्ता अफैरज़ (कनज्यूमर अफैरज़) के साथ इस समझौते को रजिस्टर करता है, और किराए पर राहत भुगतान के लिए योग्य हो जाता है, जो उसे अपने बाकी किराए का भुगतान करने में मदद करेगा।





**अगर मैं अपना किराया नहीं दे सकता/सकती तो क्या मेरा मकान मालिक मुझे ब्लैकलिस्ट कर सकता है?**

नहीं, आपका मकान मालिक को कोविड-19 के परिणामस्वरूप किराए में पीछे रहने पर आपको 'ब्लैकलिस्ट' करने की अनुमति नहीं है।

यदि वे ऐसा करते हैं, तो आप 'ब्लैकलिस्ट' सूची को हटाने में सक्षम हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए [यहां](#) देखें।

**क्या मेरा किराया बढ़ाया जा सकता है?**

नहीं, मकान मालिकों को आपके किराए को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने की अनुमति नहीं है। यदि आपको इस अवधि के दौरान किराए में वृद्धि की सूचना मिलती है, तो यह मान्य नहीं है।

31 दिसंबर 2020 के बाद, आप अभी भी किराया वृद्धि को चुनौती दे सकते हैं यदि यह अनुचित है। विवरण के लिए [यहाँ](#) देखें।

**क्या मेरे मकान मालिक मुझे किराए के भुगतान के लिए मेरे सुपररैनुईशन को निकालने के लिए कह सकते हैं?**

नहीं। मकान मालिक और रियल एस्टेट एजेंटों को बिना लाइसेंस के वित्तीय सलाह देने की अनुमति नहीं है। यदि वे ऐसा करते हैं, तो उन पर महत्वपूर्ण आपराधिक दंड लगाया जा सकता है।

यदि आपका मकान मालिक आपसे किराए का भुगतान करने के लिए आपको सुपररैनुईशन निकालने के लिए कह रहा है, तो आप उनकी ऑस्ट्रेलियाई सक््युरटी और ईनवैसटमेंट कमिशन (ASIC) को इस नंबर पर (1300 935 075) रिपोर्ट कर सकते हैं।

**मुझे मुफ्त कानूनी सलाह कहां मिल सकती है?**

**नौरदन कम्युनिटी लीगल सेंटर**

Ph: (03) 9310 4376 Email: [admin@northernclc.org.au](mailto:admin@northernclc.org.au)

**टैनेंट्स विक्टोरिया**

Email: [tenantsvic.org.au/contact/](mailto:tenantsvic.org.au/contact/)

**विक्टोरिया लीगल ऐड**

Ph: 1300 792 387 / Hindi: ((03) 9269 0487

**मुझे और जानकारी कहां मिल सकती है?**

**नौरदन कम्युनिटी लीगल सेंटर:**

[northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info](http://northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info)

**टैनेंट्स विक्टोरिया:**

[tenantsvic.org.au/advice/coronavirus-covid-19](http://tenantsvic.org.au/advice/coronavirus-covid-19)

**कनज्यूमर अफैरज़:**

[consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-your-rights](http://consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-your-rights)

**मुफ्त कानूनी सलाह लें:**

**नौरदन कम्युनिटी लीगल सेंटर**

**(03) 9310 4376**

**[admin@northernclc.org](mailto:admin@northernclc.org)**

**.au**

**[www.northernclc.org.au](http://www.northernclc.org.au)**

यह दस्तावेज़ कानूनी सलाह नहीं है। यह जानकारी 24 अगस्त, 2020 तक सटीक है, हालांकि इस अवधि के दौरान चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, इसलिए आपको इस जानकारी के आधार पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले कानूनी सलाह लेनी चाहिए।